आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
11/12/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 27/11** **सुदीश राम बनाम बिहार सरकार (अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा) एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 187 दिनांक 13.1.11 के विरूद्ध दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 8.12.10 को अनुमंडल स्तरीय गठित जॉच दल (प्रखंड विकास पदाधिकारी, मढ़ौरा एवं अंचलाधिकारी, मढ़ौरा) के द्वारा सुदीश राम, जविप्रवि, अनुज्ञप्ति सं0 83/07, ग्राम–चॉद कुदरिया, पंचायत–चॉद कुदरिया, थाना+प्रखंड–मशरक की दूकान की जॉच की गयी। जॉच के क्रम में पायी गयी अनियमितता इस प्रकार है: 1. निरीक्षण के समय वितरण अवधि में दूकान बंद पायी गयी एवं विक्रेता दूकान से अनुपस्थित थे। 2. दूकान से संबंधित सूचनापट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट पर समुचित रूप से संधारित नहीं था। 3. विक्रेता की अनुपस्थिति के कारण स्टॉक पंजी/वितरण पंजी इत्यादि की जॉच नहीं की जा सकी तथा मॉगने पर भी विक्रेता के घर के अन्य सदस्यों के द्वारा उपरोक्त कागजात जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। 4. विक्रेता के घर के अन्य सदस्यों के द्वारा भंडार के निरीक्षण हेतु भंडार खोलकर नहीं दिखाया गया, इससे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि विक्रेता के द्वारा	

सरकार के द्वारा अनुदानित सामग्री का उपभोक्ताओं के बीच वितरण न कराकर उसकी कालाबाजारी कर दी जाती है।

उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 3447 दिनांक 8.12.10 के द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण पूछा गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, लेकिन विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत जवाब को असंतोषजनक पाते हुए अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसे अस्वीकृत कर दिया गया तथा उनकी अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि दिनांक 8.12.10 को अपीलार्थी अन्त्योदय योजना का ड्रॉफ्ट बनाने हेतु बैंक गया था, जिसकी सूचना सूचनापट्ट पर दी गयी थी। साथ ही दूकान का सूचनापट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट समुचित रूप से संधारित कर बैंक गया था। अपीलार्थी परिवार का अकेला जिम्मेवार व्यक्ति होने के कारण अपने दूकान से संबंधित कुल कागजात व चाभी अपने पास ही रखता है। अपीलार्थी किरासन तेल एवं खाद्यान्न का उठाव नियमित रूप से करता है तथा उसका वितरण अपने उपभोक्ताओं के बीच निर्धारित मूल्य एवं निर्धारित मात्रा में करता है। कभी भी अपीलार्थी के द्वारा किरासन तेल व खाद्यान्न की कालाबाजारी नहीं की गई है। यह भी बतलाया गया कि माह सितम्बर एवं नवम्बर का किरासन तेल का उठाव कर उसका वितरण अपने उपभोक्ताओं के बीच करके कूपन प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में जमा किया गया था, जिसकी प्राप्ति रसीद संलग्न की गयी है। यह भी बतलाया कि अपीलार्थी अन्त्योदय योजना का खाद्यान्न माह सितम्बर, अक्टूबर एवं नवम्बर का उठाव करके उसका वितरण उपभोक्ताओं के बीच करके कूपन प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में जमा किया गया था, जिसकी प्राप्ति रसीद संलग्न की गयी है। यह भी बतलाया कि बी.पी.एल. योजना का खाद्यान्न माह अक्टूबर एवं नवम्बर का उठाव करके उपभोक्ताओं के बीच वितरण किया, जिसका कूपन प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में जमा किया था, जिसकी प्राप्ति रसीद की छायाप्रति संलग्न की गयी है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा विक्रेता की रद्द अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्तों, विभागीय दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं यह पाता हूँ कि अपीलार्थी के वितरण पंजी में काफी अनियमितता व्याप्त है। अन्त्यांदय खाद्यान्न के वितरण पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अन्त्योदय खाद्यान्न का वितरण फर्जी तरीके से करके पंजी संधारित की गयी है। अक्टूबर, 2010 एवं नवम्बर, 2010 के उपभोक्ताओं के नाम के सामने दिए गए कूपन कमांक में अंतर है।

क. सं.	उपभोक्ताओं का नाम	अक्टूबर माह के कूपन सं0	उपभोक्ता का कम सं0	नवम्बर माह के कूपन सं0	उपभोक्ता का कम सं0
1.	महबूब मियां	00661874	02	004940	04
2.	रसीद मियां	0061812	10	0049923	11

विदित है कि बिहार राज्य कूपन योजना 2006 के आलोक में उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए गए कूपन का कम सं0 सम्पूर्ण वर्ष में एक ही होता है। वितरण पंजी में दर्शाए गए एक ही उपभोक्ता का अलग–अलग कूपन सं0 से स्पष्ट होता है कि यह वितरण पंजी फर्जी है।

अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश में किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। अतः अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 03/न्या० दिनांक 07/01/2015

प्रतिलिपि – SDO, मढ़ौरा को LCR मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – DIO, NIC, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा
7/1/15